न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– राजवीर सिंह चौधरी (आर.ए.एस.)

अपील संख्याः 30/2017

जालूराम पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी 10 एस.पी.डी.(सरदारपुरा खर्था) तहसील सूरतगढ

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील सूरतगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता अपीलांट श्री शिशपाल शर्मा
2. पैरोकार राज.

निर्णय

दिनांकः 24.7.2019

1. यह अपील बहुकम तहसीलदार राजस्व सूरतगढ दिनांक 06.10.2016 प्र.स. 10/2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य निम्न प्रकार हैं कि अपीलांट को घग्घर फ्लड कन्ट्रोल के नाम की रोही सरदारपुरा खर्था के खसरा नं. 164/2 में 11.00 बीघा रकबा आराजी काश्त पर आँवटन हुई थी। अपीलांट को इस खसरा में 10.00 बीघा रकबा इससे पूर्व भी सन 1980–81 से टी.सी. आवंटन होकर यह रकबा भी अपीलांट के नाम से दर्ज रिकार्ड होकर अपीलांट के कब्जा काश्त में चला आ रहा है, इसप्रकार इस खसरा में अपीलांट के पास कुल 21.00 बीघा टी. सी. आवंटन है व राजस्व रिकार्ड में अपीलांट के नाम केवल 10.00 बीघा रकबा टी.सी. दर्ज रिकार्ड हे, शेष 11.00 बीघा रकबा राजस्व कर्मियों ने रिकार्ड में अपीलांट के नाम दर्ज नहीं किया। संवत 2073 की फसल सावणी में अपीलांट की टी.सी आवंटन कुल 21.00 बीघा रकबा में से केवल 14.00 बीघा रकबा ही काश्त थी परन्तु मातहत न्यायालय के राजस्व कार्मिक पटवारी ने अपीलांट के 10.00 बीघा रकबा को टी.सी. मानकर शेष 4.00 बीघा रकबा के लिये अतिक्रमी मानकर नाजायज काश्त की कार्यवाही कर दी व उसी आधार मातहत न्यायालय ने एक तरफा कार यवाही कर अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को 4.00 बीघा रकबा के लिये अतिक्रमी घोषित करते हुए 50 गुणा पेनल्टी राशि 506 रूपये तावान कायम करते हुए फसल को कुर्क करने व कुर्कशुदा फसल नीलाम कर पटवारी हल्का को पैनल्टी राशि वसूल करने व अपीलांट को बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लेने का निर्णय दिया है। जो कि विधि विरूद्ध है एवं काबिल निरस्ती है।
2. उक्तानुसार प्रार्थना पत्र अपील 30/17 पर दर्ज की जाकर रेस्पोंडेट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की और से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा पेश हुए एवं रेस्पोडेंट की ओर राज पेरोकार उपस्थित आए।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि तहसीलदार, सूरतगढ द्वारा अपीलांट को बिना सुने बिना कोई सूचना दिये अपीलांट की पीठ पीछे निर्णय दिनाक 06.10.2016 जारी कर दिया जिसमें अपीलांट को चार–चार सजाएं एक साथ दे दी गई है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है इसके साथ ही जैर अपील रकबा जो राजस्व रिकार्ड में जी.एफ.सी के नाम से है व अपीलांट का टी.सी. आवंटन किसी भी न्यायालय ने निरस्त नहीं किया है, आज भी आवंटन बहाल है। राजस्व कर्मियों ने अपीलांट के सन 1987 के 11.00 बीघा टी.सी. आवंटन का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं किया, इसी का नुकसान अपीलांट को पहुंचा दिया गया।
4. परौकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी अतिक्रमी है ए उसके द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध काश्त करने कारण तावान कायम किया गया है। पटवारी द्वारा की गई रिपोर्ट सही है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन मनन चिंतन किया एवं साथ ही उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। साथ ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किये किये टी.सी. आवंटन के पट्टे की छायाप्रति का अवलोकन किया गया । जिससे यह प्रतीत होता है कि अपीलांट को उक्त रोही सरदारपुरा खर्था के खसरा नं. 164/2 में 11.00 बीघा रकबा आराजी काश्त पर आँवटन हुई थी व अपीलांट के बहस के दौरान किये गये कथन अनुसार उक्त टी.सी. आज भी कायम है व खारिज नहीं हुई है। दौरानें बहस तहसीलदार द्वारा उक्त तथ्य के विरूद्व में कोई कथन नहीं किया गया। अतः उपरोक्त तथ्यों से यह सिद्व होता है कि अपीलांट द्वारा टी.सी. आंवटित भूमि पर ही काश्त की गई है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ को इस आश्य के साथ रिमाण्ड की जाती है कि प्रकरण टी.सी. आवंटन भूमि पर काश्त करने का है जिस पर धारा 22 की कार्यवाही की गई है जो विधि विपरीत है अतः प्रकरणद में पुनः तथ्यों को जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायाल य का रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चाहर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner